GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

EXPLANATORY MEMORANDUM AS TO ACTION NOTE RELATING TO EXPANSION OF SCOPE OF JUSTICE GRANT RECOMMENDED BY THIRTEENTH FINANCE COMMISSION (FC-XIII)

The Thirteenth Finance Commission (FC-XIII) had recommended a grant of ₹ 5,000 crore, over 2010-15, to improve justice delivery. Of the eight sub-components of this grant, one covered setting up of morning/evening/sub-judicial magistrate/shift courts (with support of ₹ 2500 crore) with the objective of disposing of petty cases, pending as well as freshly filed, to reduce pressure on judicial time. This recommendation of FC-XIII was accepted by the Government and was under operation.

2. On a related issue, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting dated 15.07.2010 approved to continue funding of 1562 FTCs for one more year up to 31st March, 2011 at the rate of ₹ 4.80 lakh per court toward recurring expenditure on these courts. Any expenditure in excess was to be borne by the State Governments. The central funding for FTCs was stopped post March, 2011. The Supreme Court announced its judgement on 19.04.2012 in Brij Mohan Lal v/s. Uol & Others. While the Court declined to strike down the policy decision of the Central Government not to finance FTCs beyond 31.03.2011, inter-alia the Court directed:

(a) States are at liberty to decide either to bring the FTC scheme to an end or to continue the same as a permanent feature in the State;

(b) appointment of the FTCs judges;

(c) re-allocation of grants recommended by FC-XIII for improvement of Justice Delivery and/or additional provision to meet expenses on account of regularisation of judges of FTCs;

(d) creation of another 10% posts in the State judiciary; and

(e) Centre and the State Govts. to equally share the financial burden on account of (c) and (d) above.

3. Consequent to the above, Government took a decision to expand the coverage of the award of the FC-XIII for morning/ evening/ shift/week-end/ mobile courts to include Fast Track Courts and making available upto a maximum of ₹ 80 crore per annum from out of ₹ 500 crore per annum allocated for this purpose in FC-XIII award for judiciary, on a matching basis, for meeting the expenditure on creation of 10% additional posts in State Judicial Services to the extent of salaries of judges upto 31st March, 2015.

New Delhi
3rd May, 2013

P.CHIDAMBARAM
Finance Minister

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-XIII) द्वारा संस्तुत न्याय कार्यक्षेत्र के विस्तार के बारे में कार्रवाई नोट संबंधी स्पष्टीकरण ज्ञापन

तेरहवें वित्त आयोग (एफसी-III) ने न्याय दिलाने में सुधार करने के लिए 2010 से 2015 के दौरान 5,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की थी। इस अनुदान के आठ उप-घटकों में से, एक के तहत न्याय पाने में लगने वाले समय पर दवाब कम करने के लिए छोटे-मोटे मामलों, लंबित एवं नये दर्ज मामलों के निपटान के उद्देश्य से प्रातः-कालीन/सायंकालीन/उप-न्याय मजिस्ट्रेट/शिफ्ट न्यायालयों (2500 करोड़ रु. की सहायता से) की स्थापना करना है। वित्त आयोग-XIII की इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और इस पर कार्रवाई की जा रही थी।

2. इससे संबंधित मुद्दे पर आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रीमंडल समिति (सीसीइए) ने दिनांक 15-7-2010 की अपनी बैठक में इन न्यायालयों पर होने वाले व्यय के लिए 4.80 लाख रुपए प्रति न्यायालय की दर से 1562 फास्ट ट्रैक कोर्ट का वित्तपोषण 31 मार्च, 2011 तक एक और वर्ष तक जारी रखने का अनुमोदन किया था। इससे अधिक व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। मार्च, 2011 के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु केंद्रीय वित्तपोषण बंद कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने मोहन लाल बनाम यूओआई व अन्य के मामले में दिनांक 19.04.2012 को अपने निर्णय की घोषणा की थी। न्यायाय ने केंद्र सरकार की फास्ट ट्रैक कोर्ट को 31.03.2011 से आगे वित्तपोषण न करने के नीतिगत निर्णय को निष्प्रभावी करने से इंकार करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्देश दियाः-

(क) राज्य एफटीसी स्कीम को समाप्त करने अथवा अपने राज्य में स्थायी तौर पर जारी रखने का निर्णय लेने को स्वतंत्र हैं;

(ख) एफटीसी न्यायाधीशों की नियुक्ति;

(ग) एफटीसी के न्यायाधीशों के विनियमितीकरण के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु न्याय प्रदान करने और/अथवा अतिरिक्त प्रावधान में सुधार हेतु वित्त आयोग XIII द्वारा संस्तुत अनुदनों का पुनः आवंटन;

(घ) राज्य न्यायपालिका में अन्य 10% पदों का सृजन; और

(ड.) उपरोक्त (ग) और (घ) के कारण वित्तीय व्यय को केंद्र व राज्य द्वारा बराबर साझा करना।

3. उपरोक्त के परिणामतः सरकार ने फास्ट ट्रैक न्यायालयों को शामिल करने के लिए प्रातः-कालीन/सायंकालीन/शिफ्ट/वीकैंड/मोबाइल न्यायालयों के लिए वित्त आयोग-XIII के कवरेज के विस्तार करने का और 31 मार्च, 2015 तक न्यायाधीशों के वेतन की सीमा तक राज्य न्यायिक सेवाओं में 10% अतिरिक्त पदों के सृजन संबंधी व्यय को पूरा करने हेतु, बराबर आधार पर, इस प्रयोजन हेतु वित्त आयोग-XIII द्वारा आबंटित 5000 करोड़ रु. प्रतिवर्ष में से अधिकतम 80 करोड़ रु. प्रतिवर्ष- मुहैया कराने का निर्णय लिया।

नई दिल्ली
3 मई, 2013

पी.चिदम्बरम
वित्तमंत्री